राज्य भूंगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 22 / यूपीराभूजप्रविप्रा,
दिनांक / लखनऊ / फरवरी 03 , 2021

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जनपदीय भूजल प्रबन्धन परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषयः केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के समक्ष पूर्व में अनापत्ति निर्गमन / नवीनीकरण हेतु लम्बित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्राविधानानुसार गठित उ0प्र0 राज्य भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियामक) प्राधिकरण की दिनांक 20–01–2021 को सम्पन्न द्वितीय बैठक (बैठक का कार्यवृत्त संलग्न) में निर्णय लिया गया है कि पूर्व में केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा अनापत्ति निर्गमन / नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण न होने वाले ऐसे आवेदनों को भी नवीनीकरण की परिधि में रखा जायें, जिस हेतु आवदेनों को चरणबद्ध तरीके से स्व–घोषित शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नवीनीकरण की प्रकिया पूर्ण करायी जाये। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित आवेदको से केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के समक्ष पूर्व में किए गए आवेदनों तथा उनकी अद्यतन स्थिति के संबंध में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की आख्या के आधार पर भूगर्भ जल विभाग द्वारा अनापत्ति निर्गमन / नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के कम में मुझे यह कहने के निदेश हुआ है कि आपकी अध्यक्षता में गठित जिला परिषद् को प्राप्त ऐसे प्रत्यावेदनों जो केन्द्रीय भूजल परिषद् या भूगर्भ जल विभाग को पूर्व प्रेषित किये गये थे किन्तु उनका अनापत्ति निर्गमन / नवीनीकरण की कार्यवाही कतिपय कारणों से पूर्ण नही की गयी है, उन्हे भी संज्ञान में लेते हुए, का प्रत्यावेदन मूल रुप में इस कार्यालय में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(वी0के0 उपाध्याय)
सदस्य सचिव।

पत्रांकः / यूपीराभूजप्रविप्रा / तददिनांक।

प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन / अध्यक्ष, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवम् नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित है।

(वी0के0 उपाध्याय)
सदस्य सचिव।

नवाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन संख्याः– 0522–2287283, 2287088 ई–मेल– upgwd.in@gmail.com